हुक्म

02/02/26

पत्रावली पेश हुई। वादी
प्रार्थीगण उप०। विपक्षी
सं. 1, 2, 3, 5, 6, 8 अनुप०।
विपक्षी सं. 4 व 7 के नोटिस
आज तामील प्राप्त।
आज अनु०। विपक्षीगण को
न्यायालय समक्ष में आवाज
लगवाई गई उपस्थित नहीं
हुए। विपक्षीगण के विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही के
आदेश किए जाते हैं।
बहस एक तरफा अस्थाई
निषेधाज्ञा पर सुनी गई।
वादी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित
तथ्यों को दोहराते हुए
विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई
निषेधाज्ञा पारित करने का
निवेदन किया।
हमने पत्रावली का अवलोकन
व अध्ययन कर वादी
प्रार्थीगण के कथनों पर चिन्तन
व मनन किया। प्रार्थीगण
विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई
निषेधाज्ञा पारित करवाना
चाहते हैं जबकि विपक्षीगण

(वीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रकरण में अनावेदक जीवित है खातेदार है ऐसी सूरत में खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थिया का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद 174/24 अनवार नारायण v/s हरगुलाब के साथ संलग्न हो (रीनू देवत) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	